

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बिक्रमगंज।

अग्रिम जमानत आवेदन सं०– 268 / 2026

आदेश

14.07.2026

अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदक अभियुक्त अमरेन्द्र मौआर की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार सिंह उपस्थित हुए तथा अभियोजन की ओर से श्री श्रीधन कुमार तिवारी उपस्थित हुए।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि वे आवेदक अभियुक्त अमरेन्द्र मौआर के अग्रिम जमानत आवेदन को संचालित नहीं करना चाहते हैं।

अभियोजन ने इसका विरोध नहीं किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। चूंकि आवेदक अभियुक्त अमरेन्द्र मौआर के विद्वान अधिवक्ता इस अग्रिम जमानत आवेदन को संचालित नहीं करना चाहते हैं तथा उन्होंने इस आशय का पृष्ठांकन अग्रिम जमानत आवेदन पर भी किया है।

अतः आवेदक अभियुक्त अमरेन्द्र मौआर के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित नहीं करने के कारण इस अग्रिम जमानत आवेदन को **निस्तारित** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बिक्रमगंज।